राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक : प.2(30)नविवि/3/2016 जयपुर, दिनांकः– 19 MAY 2017

आदेश

विषयः– शहरी क्षेत्रों में आवासीय/व्यावसायिक समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना एवं शिविरों के प्रभावी संचालन एवं कियान्वयन बाबत।

"मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना शिविर, 2017" का आयोजन राज्य सरकार के आदेश समसंख्यक दिनांक 25.04.2017 के तहत दिनांक 10.05.2017 से शहरी जन कल्याण शिविर शुरू किये जा रहे है। जिसके संबंध में माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में विभागीय एम्पावर्ड कमेटी की दिनांक 08.05.2017 को आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण की पालना में उक्त योजना में किये जाने वाले कार्यो के संबंधित बिन्दुओं पर निम्न प्रकार दिशा–निर्देश जारी किये जाते है :–

1. सहकारी समिति की योजनाओं में जो पट्टा जारी किया जाता है, उसमें विकास शुल्क की राशि का विभाग स्तर पर पुनः परीक्षण करने पर यह पाया कि आंतरिक विकास शुल्क (Internal Development Charges) जमा नहीं करवाया जाता है। अतः भविष्य में आंतरिक विकास कार्यो नगरीय निकाय के द्वारा किये जाने वाले कार्यो का शुल्क टाउनशिप पॉलिसी के अनुरूप लिया जावेगा। जारी होने वाले पट्टो पर यह नोट अंकित होगाः–
   " योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आंतरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।"

2. 300 वर्गमीटर तक राजकीय भूमि के नियमन बाबत जो दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं, उन्हें प्रत्याहारित (Revoke) किया जाता है।

3. स्टेट ग्रांट एक्ट एवं गाड़िया लुहार, विमुक्त, घुंमतु, अर्द्धघुंमंतु जातियों को निर्देशानुसार दिये जाने वाले पट्टों बाबत यह सुनिश्चित किया जावे कि वे पांच वर्ष तक इस पट्टे का हस्तान्तरण नहीं करेंगे। इसके साथ ही अन्य समस्त पट्टों का पंजीयन व नामांकन अनिवार्य होगा। पट्टा जारी करते समय अनुज्ञेय क्षेत्र का पट्टा जारी किया जावेगा, क्योंकि निर्माण स्वीकृति व भूमि के स्वामित्व का पटटा दोनों अलग–अलग है।

4. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–ए एवं 90–बी के तहत की गई कार्यवाही व तत्पश्चात् जारी पट्टों/लीज डीड का नाम हस्तान्तरण शुल्क अब 10/– रूपये प्रतिवर्गमीटर के स्थान पर निम्नलिखित दरों पर लिया जावेगा :–

क्रम	क्षेत्रफल	दर प्रति वर्गमीटर (राशि रूपये में)
1.	1 से 100 वर्गमीटर तक	10/–
2.	100 वर्गमीटर से अधिक एवं 300 वर्गमीटर तक	15/–
3.	300 वर्गमीटर से अधिक एवं 500 वर्गमीटर तक	20/–
4.	500 वर्गमीटर से अधिक	25/–

5. योजना क्षेत्र में कोई भी सरकारी जमीन आ रही हो, तो शिविर/मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना की अवधि के दौरान नियमन/आवंटन नहीं किया जावेगा। किसी अन्य पॉलिसी, पृथ्वीराज नगर/टाउनशिप पॉलिसी में यदि इस बाबत कोई प्रावधान है, तो विहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।